8-4-25

पत्रावली पेश हुयी। पेशकार सरकार
की रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों
का अवलोकन किया गया। अवलोकन से
प्रकरण शुद्धि का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण
में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड़ अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :- सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 03/112	दायर दिनांक 23.01.2026	निर्णय दिनांक 18.03.2026

उनवान

01. हरदेवसिंह पुत्र प्रीतमसिंह
02. हरवंशसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जातियान ब्राह्मण सिख निवासियान मुबारिकपुर तहसील नौगांवा जिला अलवर।

.... प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम मय्ये दुरुस्ती किये जाने बाबत।

निर्णय

प्रार्थी हरदेवसिंह, हरवंशसिंह पुत्रान प्रीतमसिंह जातियान ब्राह्मण सिख निवासियान मुबारिकपुर तहसील नौगांवा जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 2094 रकबा 1.04 हे0 वाके ग्राम मुबारिकपुर तहसील नौगांवा जिला अलवर मे स्थित है जो इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी है जो आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित की जावेगी। विवादित आराजी प्रार्थीगण की रिकोर्डेड खातेदारी के आराजी खसरा नं0 2094 है जो मुबारिकपुर से बीजवा रोड से लगता हुआ है। प्रार्थीगण अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर काबिज है। राजस्व कर्मचारियान द्वारा सन् 2021 में ऑनलाईन सैग्रीगेशन कैडस्टल तैयार करते समय ख0 न0 2094 को मुबारिकपुर रोड से दूर कर दर्शाया दिया उसके स्थान पर ख0 न0 2232 को मुबारिकपुर रोड से लगता हुआ दर्शाया गया है। जो गलत है व मौके पर कब्जे के खिलाफ है और साबिक नक्शा मे विपरित है। जबकि पूर्व नक्शा सम्वत् 2058 व मौका अनुसार खसरा नम्बर 2094 सडक से लगता हुआ स्थित है। जो साबिक नक्शा टेस एवं हाल नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है। हाल नक्शा टेस में प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी के स्थान पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानूनी गलत दर्ज कर दिया है जबकि हाल नक्शा साबिक नक्शा टेस के अनुसार ही बनाना चाहिए था क्योंकि गलत नक्शे के कायम रहने से प्रार्थीगण के हकूक जायल होते है। जिससे प्रार्थीगण हाल नक्शा टेस को दुरुस्त करवाकर पूर्व सम्वत 2058 के नक्शे के अनुसार दुरुस्ती करवाने के कानूनन अधिकारी है। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

रूस्ती का प्रस्तुत है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक रा.म. /बपसततत्त/प–126/2021/3685 दिनांक 06.10.2021 में सैग्रीगेशन कार्य के दौरान सहवन से हुए गलतियों को सही करने हेतु निर्देश प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटि होने से शुद्धि किये जाने का राजस्थान भू0 राजस्व भू0अ0 नियम 1957 में प्रावधान है तथा नक्शा मे खसरा न0/तरमीम जैसी अशुद्धियो को शुद्ध किये जाने का राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान है। अतः उक्त नक्शो में शुद्धि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। प्रार्थीगण को गलत नक्शा टेस की जानकारी दिनांक 15.01.2025 को हुई जब प्रार्थीगण ने ऑनलाईन गुगल मैप पर राजस्व नक्शा देखा तो पता चला कि प्रार्थीगण का ख0न0 2094 को मुबारिकपुर रोड से दूर दर्शाया गया है। और खसरा नं0 2232 को सडक के साथ दर्शाया गया है जो गलत है व मौके पर कब्जे के खिलाफ है और साबिक नक्शा में विपरित है। जिनकी छायाप्रति पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल खसरा न0 2094 रकबा 1.04 हे0 जो वाके ग्राम मुबारिकपुर तह0 नौगांवा जिला अलवर मे सन् 2021 में ऑनलाईन सैग्रीगेशन के दौरान राजस्व नक्शे में हुई गलती को दुरूस्त कराया जाकर मुताबिक साबिक नक्शा टेस व पूर्व नक्शा टेस के अनुसार नक्शे में मुबारिकपुर रोड से लगता हुआ सही तरमीम करते हुए दुरूस्ती कराई जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र के जवाब में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है कि मुताबिक जमाबंदी खसरा नं0 2094 रकबा 1.04 हे0 वाके ग्राम मुबारिकपुर खातेदार हरदेवसिंह पुत्र प्रीतमसिंह हि0 1/2, हरवंशसिंह पुत्र प्रीतमसिंह हि0 1/2 जाति ब्राहम्ण सिख सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा ऑनलाइन भू नक्शा पोर्टल पर नक्शे में उक्त (प्रश्नगत) खसरा नं0 को रास्ते से पीछे तथा खसरा नं0 2232 के पीछे दर्शाया गया है। खसरा नं0 2232 अन्य खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। ख0न0 2094 का मुताबिक नक्शा रकबा 45 एयर बनता है। तथा मुताबिक जमाबन्दी ख0न0 2094 का रकबा 1.04 हे0 दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा रोड तक है तथा सम्पूर्ण रकबा 1.04 दर्ज है। अन्तर 1.04–0.45 = 59 एयर कम है। मुताबिक नक्शा ख0न0 2232 का रकबा 1.57 हे0 तथा मुताबिक जमाबंदी खसरा नं0 2232 का रकबा अन्तर 1.57–0.98 =59 एयर अधिक आता है। साबिक नक्शा संवत 2058 के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि ख0न0 2094 रोड से लगता हुआ था। केडीस्टल मेप बनाते समय सहवन से ख0न0 2232 को रोड से मिला दिया गया जिससे प्रार्थी का नक्शा 0.59 हे0 कम हो गया तथा खातेदार का रकबा 0.59 हे0 बढ गया।

वकील प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र जेर दफा 1 रूल 10 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत कर अमरजीत कौर पत्नि रामेश्वरसिंह, कुलवन्त, खुशहाल, वरियामसिंह, पुत्रान रामेश्वरसिंह गुरदेव कौर, गुरमीत कौर, गुरविन्दर कौर, गुरशरण कौर, चरणजीत कौर, सुरजीत कौर पुत्रीयान रामेश्वरसिंह, अमरीक सिंह, अमरजीत सिंह, नाहरसिंह पुत्रान दलीपसिंह, गुरूदेवसिंह, बलबीरसिंह पुत्रान भजनसिंह, जसवीर कौर, रधुवीर कौर पुत्रीयान भजनसिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासीयान मुबारिकपुर तह0 नौगांवा को पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली में संशोधित टाईटल प्राप्त कर उक्त पक्षकारान को जर्ये रजि0 एडी0 नोटिस जारी किये गये। बावजूद नोटिस तामिल उक्त पक्षकारान अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

प्रकरण नक्शा दुरूस्ती का है जो श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के क्षेत्राधिकार में है। ख0न0 2232 में 0.59 हे0 रकबा कम करते हुए ख0न0 2094 में 0.59 हे0 रकबा

उप खण्ड़ अधिकारी
रामगढ (अलवर)

रोड से लगता हुआ बढाने पर प्रार्थी के रकबे की पूर्ति हो जाती है तथा नक्शा मुताबिक कब्जा सही हो जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि साबिक नक्शा संवत 2058 के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि ख0न0 2094 रोड से लगता हुआ था। केडीस्टल मेप बनाते समय सहवन से ख0न0 2232 को रोड से मिला दिया गया जिससे प्रार्थी का नक्शा 0.59 हे0 कम हो गया तथा खातेदार का रकबा 0.59 हे0 बढ गया। ख0न0 2232 में 0.59 हे0 रकबा कम करते हुए ख0न0 2094 में 0.59 हे0 रकबा रोड से लगता हुआ बढाने पर प्रार्थी के रकबे की पूर्ति हो जाती है तथा नक्शा मुताबिक कब्जा सही हो जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैरोकार सरकार रिपोर्ट अनुसार उक्त नक्शे में दुरूस्ती राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत आराजी खसरा नम्बर ख0न0 2232 में 0.59 हे0 रकबा कम करते हुए ख0न0 2094 में 0.59 हे0 रकबा रोड से लगता हुआ बढाने की नक्शे सम्बन्धित दुरस्ती की जावे। उक्त दुरस्ती हेतु तहसीलदार रामगढ को अहमकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ अलवर

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)